



अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

विविध वाद संख्या- 39 / 2023-24

नाम - युदिना कान्ढेयोंग,
पिता/पति- स्व० निदोष कान्ढेयोंग,
ग्राम- काठभारी।

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
16/6/23	आवेदिका युदिना कान्ढेयोंग, पिता- निदोष कान्ढेयोंग, ग्राम- काठभारी, पो०- काठभारी, थाना- मंझारी के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हेतु आवेदन प्राप्त है। मुण्डा/राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक <u>23/6/23</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी तांतनगर।	
23/6/23	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, उनके जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत मौजा- काठभारी, थाना नं०- 163 का खतियान खाता सं०- 73 का जाँच किया, जिसमें जाति क्रिस्तान दर्ज है। परन्तु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य में निवास करने वाली की सूची में क्रिस्तान जाति कहीं भी दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि खतियान में जाति दर्ज करते समय सम्भवतः त्रुटि हुई है। जाँच के क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि वे अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत "हो" उपजाति के सदस्य है। ग्रामीण मुण्डा एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा भी यह जानकारी दी गई है कि आवेदक "हो" उपजाति के सदस्य है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/जा०नि० 03/15/2015/का० 1754 दिनांक- 25/02/2019 के कण्डिका 13 में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन कर जाति का सत्यापन करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। अतः कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/जा०नि० 03/15/2015/का० 1754 दिनांक- 25/02/2019 के कण्डिका 13 में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में ग्रामीण मुण्डा को आवेदक जाति सत्यापन हेतु ग्राम समा करने के लिए सूचित करें एवं इसकी प्रतिलिपी संबंधित मुखिया दें, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक से प्रपत्र 14 में जाँच प्रतिवेदन की मांग करें एवं सर्वसाधारण सूचना निर्गत करते हुए दिनांक <u>7/7/23</u> तक अपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>8/7/23</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी तांतनगर।	

08/07/23

અભિલેખ ઉપસ્થાપિત ।

સર્વસાધારણ સૂચના કા રાખિલા ગયા ~~પ્ર~~ રાઠ ૩૦ નિરી-ક-
અં નિરી કા બાંચ પ્રતિવેદન ભવે આવેદક દ્વારા પ્રપત્ર - XIV
કા સંગ્રહિત નથી કિયા ગયા છે । સત્તી પ્રતિવેદન પ્રાપ્ત એને કે
પશ્ચાત્ અભિલેખ ઉપસ્થાપિત કરે ।

અંચલ અધિકારી
તાંતનગર

૨૪/૭/૨૩